11 जनवरी, 2021

संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, 2021

आप युवा संसद महोत्सव के राष्ट्रीय प्रतिभागी के रूप में आज यहां संसद भवन के उस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में उपस्थित हैं, जहां 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारे देश ने ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता की प्राप्ति की थी। यह भवन ऐसी कितनी ही ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है।

इसी केंद्रीय कक्ष में आजादी के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान बनाया था जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जनता को केंद्र में रखकर संविधान का निर्माण किया था और एक लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी थी। उनकी भावना थी कि जनता से चुनी हुई सरकारें देश की प्रगति के लिए और देश की आम जनता के कल्याण के लिए काम करें।

आज उसी केन्द्रीय कक्ष में युवा संसद के प्रतिभागी के रूप में आप लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए यहां युवा संसद महोत्सव के प्रतिभागी के रूप में आये हैं। लोकतंत्र के इस मंदिर में लोकतंत्र के इस पर्व में सम्मिलित होना आपके लिए गर्व का विषय होना चाहिए।

यह हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और देश के लिए विज़न था कि आज हमारे देश की सात दशकों की यात्रा में भारत का लोकतंत्र निरंतर मजबूत हुआ है, सशक्त हुआ है, समृद्ध हुआ है। लोकतंत्र के प्रति लोगों के विश्वास और भरोसे में लगातार वृद्धि हुई है।

यही कारण है कि देश में अब तक 17 आम चुनाव और 300 से भी अधिक विधान सभा के चुनाव हुए हैं और हर चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढा है। विशेष रूप से लोकतंत्र के इस उत्सव में नौजवानों की सक्रिय भागीदारी ने इस विश्वास और भरोसे को और बढाया है।

हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता का पता इससे भी चलता है कि हमारे यहां सत्ता परिवर्तन हमेशा सुचारू रूप से और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार हुआ है। हमारे राजनैतिक दलों में विचारधारा का अंतर हो सकता है, परंतु राष्ट्रहित और राष्ट्रीय विषयों पर हम सभी एकमत हैं।

इन 7 दशकों के अंदर में देश में बहुत परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों का साक्षी यह संसद का भवन है, जहां पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने देश के लिए योगदान दिया और देश को आगे बढाने के लिए संकल्पित होकर काम किया।

मेरे युवा साथियों, स्वतंत्रता के पूर्व का एक समय था, जब हमारे देश के नौजवानों ने आजादी के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया था। उन्होंने लम्बे संघर्ष के बाद अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराया था। उनके इस त्याग और बलिदान की भावना को आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता के बाद देश के चुने हुए प्रतिनिधियों ने इस देश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्र का नवनिर्माण करने के लिए कार्य किया।

स्वतंत्रता के पूर्व की स्थिति कुछ और थी। उस समय की परिस्थिति के अनुसार युवाओं ने अपना बलिदान देकर देश को आज़ाद कराया था। इसी भावना से नौजवानों ने अपना खून बहाया था, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनके प्रयासों से ही हमें आजादी मिली।

परन्तु आज देशसेवा के लिए हमारे दायित्व कुछ और हैं, हमारे कर्तव्य भिन्न हैं। आज का दौर इस देश के नवनिर्माण का है, देश को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का है। नए भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का है।

पिछले सात दशकों में हमारे देश में बहुत परिवर्तन हुए हैं। अब नई तकनीक, नए इनोवेशन, नई सोच, नए विचार एवं नवाचारों के साथ हम सबको देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना है।

अपनी बौद्धिक क्षमता और अपार ऊर्जा के बल पर आज भारत का नौजवान पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका में है। इसी ऊर्जा और इसी क्षमता के साथ हमें नए भारत और 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण के लिए संकल्पित होना है। इसके लिए लोकतंत्र, जो हमारे संस्कारों, हमारे विचारों में समाहित है, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है।

हम जिस भी क्षेत्र में रहें, जो भी दायित्व निभाएं उसके मूल में देश की उन्नति व देशवासियों का कल्याण होना चाहिए। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमारा प्रत्येक निर्णय आखिरी पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक के कल्याण की ओर लक्षित हो।

साथियो, आपके हर प्रयास में, हर कार्य के केंद्र में यह भावना होनी चाहिए कि मैं अपने देश को कैसे आगे बढाऊँ, देश के नवनिर्माण में मेरा क्या योगदान हो। जब हम इस भावना के साथ देश के नवनिर्माण का कार्य करेंगे, तब ही यह देश विश्व में सफलता के नए शिखर छुएगा। यह समर्पण एवं निष्ठा का भाव हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाना चाहिए।

देश के नौजवान जो भी काम करें, जिस भी क्षेत्र में काम करें, उसमें देश मेरे लिए प्रथम है, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, यह भाव मन में सदैव होना चाहिए।

मुझे पूरा विश्वास है कि देश की यह विशाल युवा शक्ति, नए भारत का निर्माण करेगी। आने वाले समय में हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, तकनीकी ज्ञान और स्किल्ड मानव संसाधन के बल पर भारत, विश्व गुरू के रूप में दुनिया का नेतृत्व करेगा। उनके इस प्रयास को लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ऊर्जा देगी।

दोस्तों, लोकतंत्र में हम अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं। उन पर वाद-विवाद और विमर्श करते हैं तथा व्यापक चर्चा के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत है, जो सबको अपना मत प्रकट करने का अधिकार देती है।

हमारे लोकतंत्र की विशेषता है कि यहां जनप्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। उनकी बोली, भाषा, खान पान तथा राजनीतिक प्रतिबद्धताएं भी अलग होती हैं, लेकिन इन सभी विविधताओं के बाद भी राष्ट्रीय एकता और देशहित के विषय पर हम सब एक हैं। हमारा प्रत्येक निर्णय देशहित में होता है।

आज इस मंच पर आप देश के अलग अलग गांवों में, अलग अलग स्थानों से आए हैं। आप युवा सांसद के रूप में अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहां आप सांसदों की ही भांति अपने विचारों, अनुभवों और नवाचारों को साझा करेंगे। आज आप लोगों में, मैं उसी संसद का लघु रूप देख रहा हूँ।

आज यहां जो भी युवा उपस्थित हैं, उनके दिलों में देश सर्वोपरि की भावना है, उनकी आत्मा और विचारों में लोकतंत्र है। आज आप यहां पर सामूहिक रूप से इसी बात पर मंथन करेंगे कि हम देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करते हुए देश को कैसे आगे बढाएं।

साथियो, यह वक्त भारत के नौजवानों के लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाने का है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया था, उस समय मतदाताओं को सिर्फ वोट देने तक ही सीमित नहीं रखा था। उनकी यह अभिलाषा थी कि मतदाता लोकतांत्रिक संस्थाओं में योगदान भी दें। जनप्रतिनिधि के माध्यम से देश में कानून तथा नीतियों के निर्माण में उनका अभिमत भी प्रदर्शित हो। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन के समक्ष रखने की यह प्रतिबद्धता ही हमारे संविधान की मूल भावना है।

हमारा भी दायित्व बनता है कि जो व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने दी है, हम उसको निभाएं। हमने जिनको वोट देकर चुना है, उन्हें अपनी भावनाओं से लगातार अवगत कराएं, अपनी समस्याओं की जानकारी दें। नीति निर्माण, कानून बनाने में हमारा मत प्रकट हो ताकि जो कानून बने, वह देश की जनता के हित में हो, जनता की मांग पर हो। विधि निर्माण में जनता की भागीदारी स्पष्ट दिखनी चाहिए।

ऐसा करने से ही विधायिका और कार्यपालिका जनता की समस्याओं के प्रति अधिक जवाबदेह हो सकती है और समाज का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकता है।

मुझे आशा है कि यह युवा संसद उसी भावना से काम करेगी। आपकी जिम्मेदारी आज के बाद और बढ़ जाएगी। आप जब यहां से अपने क्षेत्र में वापस लौटें, तो यहां से 'लोकतंत्र के सशक्तिकरण' और 'नेशन फर्स्ट' का संकल्प और संदेश लेकर जाएं।

आज राष्ट्र सेवा के लिए यही आपका दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। यह बात हमारे मन में हमेशा होनी चाहिए कि हम रहें न रहें, देश रहेगा और देश में लोकतंत्र रहेगा।

एक बार पुन: आप सबको युवा संसद फाइनल्स के लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय।